IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

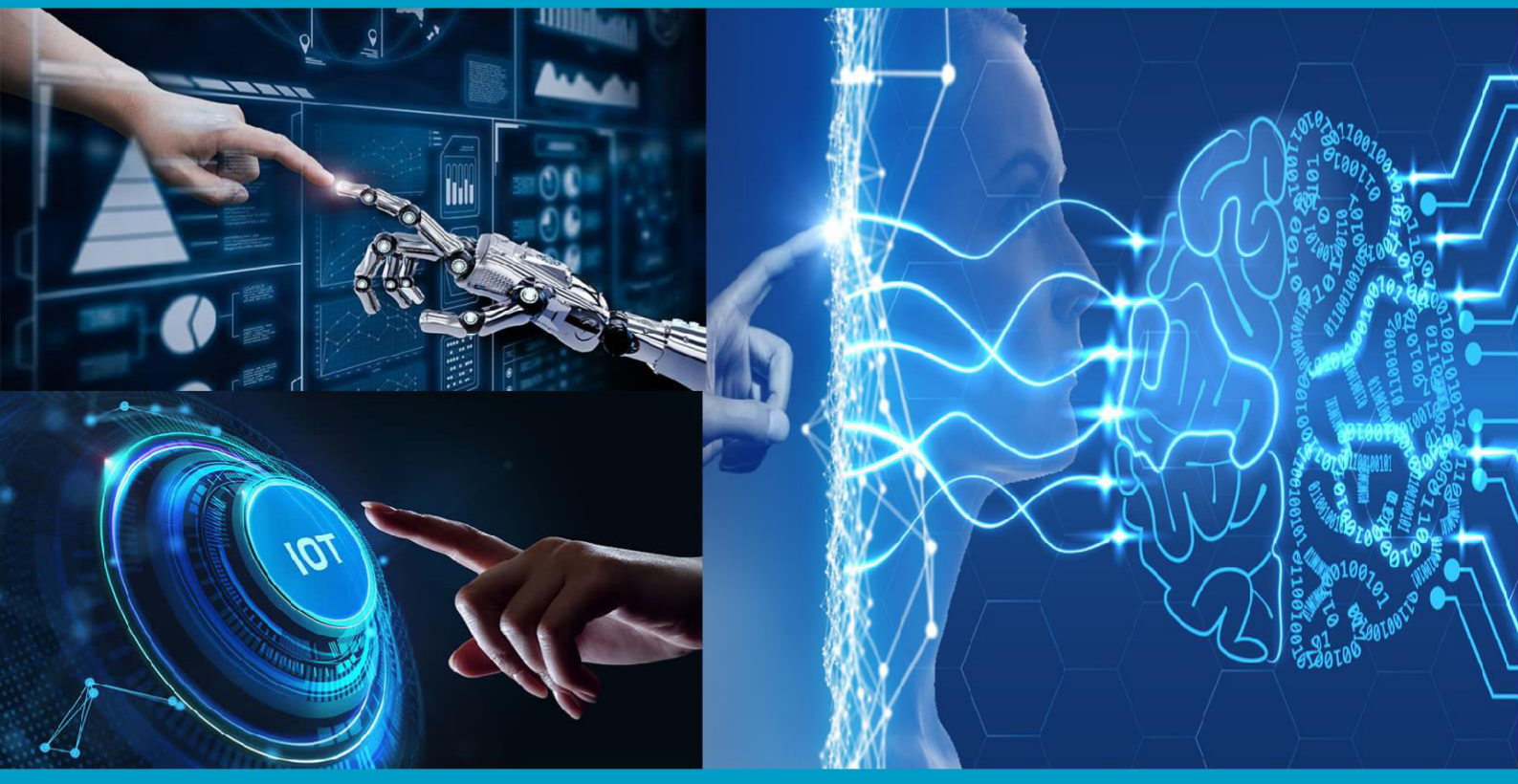

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 10, Issue 8, August 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

नगरों की विभिन्न समस्यायें

Dr.Ravin Kumar

Assistant Professor, Geography, Govt.Girls College, Tapukra, Alwar, Rajasthan, India

सार

जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाना 'नगरीकरण' कहलाता है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का बढ़ता हुआ भाग ग्रामीण स्थानों में रहने की बजाय शहरी स्थानों में रहता है।

नगरीकरण की परिभाषा

थौमसन वारन (एनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्सेज) ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की हैः ''यह ऐसे समुदायों के व्यक्तियों, जो प्रमुखरुप से या पूर्णरुप से कृषि से जुड़े हुये हैं, का उन समुदायों में जाना है जो साधारणतया (आकार में) उनसे बड़े हैं और जिनकी गतिविधियां मुख्य रुप से सरकार, व्यापार, उत्पादन या
इनसे सम्बद्ध कारबारों पर केन्द्रित हैं''।

एन्डर्सन (1953ः11) के अनुसार नगरीकरण एकतरफा प्रक्रिया न होकर दोतरफा प्रक्रिया है। इसमें केवल गांवो से शहरों में जाना नहीं होता, परन्तु इसमें प्रवासी के रुखों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार के संरुपों में भी परिवर्तन होता है। उसने नगरीकरण की पांच विशेषतायें बताई हैंः मुद्रा अर्थव्यवस्था, सरकारी प्रशासन, सांस्कृतिक परिवर्तन, लिखित अभिलेख, और अभिनव परिवर्तन।
परिचय

नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं

नगरीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएँ हैं -

1. नगरीकरण से कृषि एवं घरेलू उद्योग.धन्धों का विकास नहीं हो पाता क्योंकि उपलब्ध पूंजी का अधिकांश भाग बड़े तथा भारी उद्योगों में लग जाता है जो नगरों में स्थित होते हैं।
2. गाँवों से नगरों की तरफ तेजी से होने वाले प्रवास ने नगरों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कर दी है। यहाँ रोजगार खोजने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, परन्तु रोजगार के अवसरों में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो पा रही है। [1,2,3]
3. नगरों में तेजी से बढ़ती भीड़ ने वहाँ आवास की समस्या उत्पन्न कर दी है। गाँवों से नगरों में आने वाले लोगों को जब रहने का स्थान नहीं मिलता तो लोग नगरों में जहाँ भी स्थान मिलता है, झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। इससे नगरों में झुग्गी-झोपड़ियों तथा गन्दी बस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
4. नगरीकरण से नगरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है। मोटर वाहनों तथा यातायात के यन्त्रचालित दुपहिया, तिपहिया वाहनों की अधिकता से दुर्घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है तथा पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
5. गाँवों से जब नगरों की ओर देशान्तरण होता है तो देशान्तरित व्यक्ति अपना अलग समाज बना लेता है जिससे समाज के अन्दर समाज का निर्माण हो जाता है। इससे लोगों में अलगाव की भावना पनपने लगती है।
6. नगरीकरण ने आर्थिक विषमता को भी जन्म दिया है। धनी लोग अधिक धनी तथा निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप दोनों वर्गों में दूरी बढ़ती जा रही है जो वर्ग संघर्ष का कारण बन सकती है।

विचार-विमर्श

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की 26 प्रतिशत आबादी अर्थात 21.70 करोड़ जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अगर हम सिर्फ पिछले 40 वर्षों की स्थिति पर गौर करें तो पाते हैं कि उस समय कुल जनसंख्या के 12 प्रतिशत लोग ही शहरों में निवास करते थे। लेकिन स्वतन्त्रता के बाद जैसे-जैसे आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई, वैसे-वैसे नगरों की संख्या तथा उनमें निवास करने वाली जनसंख्या दोनों में वृद्धि हुई, जो सारणी-1 से स्पष्ट है।

जहाँ तक भारत में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत का प्रश्न है, यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि यह विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, लेकिन अगर नगरों में निवास करने वाली कुल जनसंख्या पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि यह संख्या कई

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

विकसित देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है।[5,7,8]

नगरीकरण की प्रवृत्ति

भारतीय जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर छह भागों में विभाजित किया गया है:

प्रथम वर्ग	- 1 लाख से अधिक जनसंख्या
द्वितीय वर्ग	- 50,000-99,999
तृतीय वर्ग	- 20,000-49,999
चतुर्थ वर्ग	- 10,000-19,999
पंचम वर्ग	- 5,000-9,999
षष्ठम वर्ग	- 5,000 से कम

अगर अम भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति (सारणी-2) पर गौर करें तो पाते हैं कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ग के नगरों की संख्या में वृद्धि काफी तीव्र गति से हुई है। चतुर्थ श्रेणी के नगरों में भी वृद्धि हुई है। लेकिन पंचम श्रेणी के नगरों में 1901 की तुलना में कमी आई। 1951 तक इस श्रेणी में वृद्धि हुई। उसके बाद घटते-घटते 1971 तक यह 623 तक पहुँच गई। 1981 में इसमें पुनः वृद्धि दृष्टिगोचर हुई, लेकिन 1991 में इसमें पुनः कमी आई। इसी तरह छठे वर्ग के कस्बों की संख्या में 1921 तथा 1981 को छोड़कर लगातर ह्रास की प्रवृत्ति जारी रही है।

कस्बों की संख्या में कमी का कारण व्यापक पैमाने पर बड़े नगरों की तरफ जनसंख्या का झुकाव एवं जनगणना विभाग द्वारा नगरों की परिभाषा में परिवर्तन करना है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा नगरों की परिभाषा में किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप 1951-61 के दशक में पांचवें वर्ग में 405 कस्बों तथा छठे वर्ग में 399 कस्बों को पुनः अवर्गीकृत कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया।

बड़े नगरों में जनसंख्या वृद्धि तथा उनकी संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति 1991 तक जारी रही। वर्तमान समय में प्रथम वर्ग के नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या का 65.20 प्रतिशत भाग निवास करता है (असम एवं जम्मू-कश्मीर को छोड़कर)। दूसरी तरफ चतुर्थ श्रेणी के कस्बों में मात्र 7.77 प्रतिशत एवं पांचवीं श्रेणी के कस्बों में 31.45 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है।

यही प्रवृत्ति महानगरों के सम्बन्ध में भी देखने को मिलती है। 1901 में भारत में सिर्फ एक महानगरा (कलकत्ता) था। 1911 से 1941 तक यह संख्या 2 तक सीमित रही। 1951 में यह संख्या बढ़कर 5, 1961 में 7, 1971 में 9, 1981 में 12 तथा 1991 में 23 हो गई। 1981 से 1991 के दशक में इसमें लगभग दुगुनी वृद्धि हुई।[9,10,11]

नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कई कारण हैं जिनमें मुख्य है- गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण। एक अन्य कारण नगरीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का है। बड़े नगरों या नगरीय समूह के चारों तरफ कालांतर में रेलवे कालोनी, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र, सैनिक छावनी इत्यादि विकसित हो जाते हैं। इनमें कई बार तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि कुछ क्षेत्र नगरपालिका/नगर निगम के क्षेत्र से बाहर विकसित हो जाते हैं तथा गाँवों के राजस्व क्षेत्र में आते हैं। ऐसे क्षेत्र को जनगणना विभाग द्वारा बाह्य विकसित (आउट ग्रोथ) क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी जाती है तथा इसकी गणना भी कस्बों के साथ-साथ की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों/शहरों में स्थानांतरण का कारण रोजगार का अभाव, कृषि भूमि पर अधिक दबाव, उत्पादकता में

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

गिरावट, निम्न रहन-सहन इत्यादि है। इसी तरह नगरों में रोजगार के अधिक अवसर, मजदूरी की अधिक दरें, शहरों का चकाचौंधपूर्ण जीवन, शिक्षा प्राप्ति के अधिक अवसर इत्यादि कारक ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

इस तरह नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण कई तरह की समस्याएँ जन्म ले चुकी हैं जो धीरे-धीरे वीभत्स रूप धारण करती जा रही हैं। नगरों में उत्पन्न समस्याओं को निम्नांकित भागों में बाँटा जा सकता है:

1. पर्यावरणीय समस्या
2. आवास की समस्या
3. रोजगार की समस्या
4. अन्य सामाजिक समस्याएँ

1. पर्यावरणीय समस्याः नगरीय केन्द्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने एवं औद्योगीकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन की कई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है।

महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा निस्सृत विषैले रसायन हैं। जिनमें मुख्य है: सल्फर डाईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं नाइट्रस ऑक्साइड। एक सर्वेक्षण (नेशनल इन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट, नागपुर) के अनुसार 1990 में उद्योगों से निकलने वाले सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा 45,000 टन प्रति वर्ष थी, जो बढ़कर सन 2000 से 48,000 टन प्रतिवर्ष हो जाने की आशा है।

इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 1980 में 1,40,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 1990 में 2,65,000 प्रतिवर्ष हो गई थी तथा आशंका है कि सन 2000 तक यह मात्रा 4,00,000 टन प्रतिवर्ष हो जाएगी।

इसी तरह औद्योगिक नगरों में जाड़े के मौसम में तापीय प्रतिलोमन के समय कारखानों की चिमनियों से निस्सृत धूम्र एवं सल्फर के स्थिर वायु के साथ मिश्रण के कारण जानलेवा नगरीय धूम्र कोहरे की उत्पत्ति होती है।

वाहनों से निकलने वाले धूम्र के साथ सीसा नामक तत्व भी निकलता है जिसका बुरा प्रभाव हमारे श्वसन-तंत्र पर पड़ता है। सल्फर डाईऑक्साइड गैस वर्षा के जल के साथ संयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल में परिणत हो जाती है। यह अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुँचता है जिसके फलस्वरूप त्वचा कर्कटाबुर्द (कैंसर) की आवृत्ति में वृद्धि होती है।

सारणी-1

वर्ष	नगरों की कुल संख्या	नगरीय जनसंख्या
1951	2795	61,629,646
1961	2270	77,562,000
1971	2476	106,966,534
1981	3245	156,419,768
1991	3609	212,867,337
स्रोतः भारतीय जनगणना, 1991, सीरीज-1 असम एवं जम्मू-कश्मीर को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।		

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

सारणी-2
भारत में विभिन्न श्रेणी के नगरों की संख्या

जनगणना	श्रेणी					
वर्ष	1	2	3	4	5	6
1901	24	43	130	390	744	479
1911	23	40	135	364	707	485
1921	29	45	145	370	734	571
1931	35	56	183	434	800	509
1941	49	74	242	498	920	407
1951	76	91	327	608	1124	569
1961	102	129	427	719	711	172
1971	148	173	558	827	623	147
1981	215	270	738	1053	739	229
1991	296	341	927	1135	725	185
स्रोतः भारतीय जनगणना, 1991, सीरीज-1						

इसी तरह बढ़ती नगरीकरण की प्रवृत्ति ने जल को भी काफी हद तक प्रभावित किया है। दिनों-दिन नगरों में पक्के आवासों की संख्या बढ़ती जा रही है जिससे वर्षा का जल रिसकर अंदर नहीं जा पाता है। फलस्वरूप धरातलीय जल-स्तर में कमी आ रही है।

महानगरों में स्थित कल-कारखानों द्वारा निष्कासित कचरे मुख्य रूप से नदी-नालों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इसके कारण नदियों का पानी भी पीने लायक नहीं रह गया है। दिल्ली के पास यमुना नदी मात्र एक नाला बनकर रह गई है। इसी तरह कानपुर में स्थित चमड़े के कारखानों के कारण गंगा नदी किसी कार्य के लिए भी उपयोगी नहीं रह गई है।

महानगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी काफी ऊँचा हो गया है। इनमें अबाध गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण स्वचालित वाहनों तथा अन्य ध्वनि प्रदूषकों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत के अधिकांश महानगरों में ध्वनि का स्तर 70-80 डेसीबेल तक पहुँच गया है जिससे श्रवण-सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

2. आवास की समस्या: पर्यावरण के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या आवास की है। यह समस्या आवास की गुणवत्ता एंव मात्रा दोनों में देखने को मिलती है।[12,13,15] वर्तमान समय में भारत में 3 करोड़ 10 लाख आवासीय इकाइयों की कमी है जिसमें 206 लाख

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

आवास की कमी ग्रामीण क्षेत्र में तथा 104 लाख शहरी क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण सुविधायुक्त मकानों की मात्रा भी काफी कम है तथा सन 2000 तक लगभग 7 मिलियन आवासों की कमी की सम्भावना है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार कुल नगरीय आबादी का 14.68 प्रतिशत झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करता है। भारत के विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा भाग झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करता है जो नीचे की तालिका से स्पष्ट है:

महानगर	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
मुंबई	38.30
कलकत्ता	35.35
दिल्ली	30.19
चेन्नई	31.87
अहमदाबाद	26.16
बंगलौर	10.02
कानपुर	40.31
लखनऊ	38.83

3. रोजगार की समस्या: जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है। गाँवों से शहरों में आने वाले लोगों की अधिक संख्या के कारण उन्हें शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती चली जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण-शहरी स्थानांतरण में कमी आई है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की सफलता मानी जाती है।

अन्य सामाजिक समस्याएँ: इन उपरोक्त मुख्य समस्याओं के अतिरिक्त भी कई समस्याएँ हैं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग अधिकतर गरीब होते हैं, अतः पैसे की कमी के कारण वे अमीर लोगों की बस्तियों के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। इन गरीब वर्ग के लोगों का शैक्षणिक स्तर भी निम्न होता है तथा नगरों की साफ-सफाई की व्यवस्था का बोध नहीं होने के कारण शहरी वातावरण उनके लिए संकटमय हो जाता है। यह संकट कभी-कभी विकराल रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के तौर पर जनवरी, 1995 में दिल्ली की एक मध्यमवर्गीय कालोनी में गरीब लोगों के समूह ने वहाँ स्थित पार्क का उपयोग शौचालय के रूप में करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप उत्पन्न हुए झगड़े में चार लोगों की मृत्यु हो गई तथा जान-माल का काफी नुकसान हुआ। यहाँ पर स्व. श्रीमती इंदिरा गाँधी की यह उक्ति कि 'गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है', काफी प्रासंगिक होती है। इसके अतिरिक्त गरीबी एवं अमीरी की बढ़ती हुई खाई के कारण गरीब लोगों में अधिकाधिक पैसे की प्राप्ति के लिए आपराधिक भावना भी पनप उठती है जिससे शहरी जीवन तनावग्रस्त हो जाता है।

इस तरह हम देखते हैं कि भारत में बढ़ते नगरीकरण के कारण कई समस्याओं का जन्म हो चुका है। इन समस्याओं के पीछे मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। अतः हमें सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या को काबू में करना होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर- जैसे नेहरू रोजगार योजना, ट्राइसेम, आर.एल.ई.जी.पी. इत्यादि प्रदान किए हैं। इसके साथ-साथ नगरीय बाह्य क्षेत्र में विकास ध्रुव केन्द्र की स्थापना करनी होगी। नगरीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी बाह्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे।[17,18,19]

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

1. नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव कम होगा।
2. प्रदूषण स्तर में काफी कमी आएगी।

परिणाम

जैसा की भारत में (urbanization in india) पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का पलायन भी शहरों एवं बड़े-बड़े महानगरों की ओर हो रहा है। परिणामस्वरूप शहरों में बढती आबादी अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है, जिनका समाधान किया जाना अति आवश्यक है।

इस तरह नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण कई तरह की समस्याएँ जन्म ले चुकी हैं जो धीरे-धीरे वीभत्स रूप धारण करती जा रही हैं। नगरों में उत्पन्न समस्याओं को प्रमुख तीन भागों (urbanization essay) में बाँटा जा सकता है...

1. पर्यावरणीय समस्या :

नगरीय केन्द्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने एवं औद्योगीकरण (Urbanization Causes and Impacts) के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन की कई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा निस्सृत विषैले रसायन हैं।

जिनमें मुख्य है: सल्फर डाईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं नाइट्रस ऑक्साइड। एक सर्वेक्षण (नेशनल इन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट, नागपुर) के अनुसार 1990 में उद्योगों से निकलने वाले सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा 45,000 टन प्रति वर्ष थी, जो बढ़कर सन 2000 से 48,000 टन प्रतिवर्ष हो जाने की आशा है।

इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड (urbanization definition geography) की मात्रा 1980 में 1,40,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 1990 में 2,65,000 प्रतिवर्ष हो गई थी तथा आशंका है कि सन 2000 तक यह मात्रा 4,00,000 टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। इसी तरह औद्योगिक नगरों में जाड़े के मौसम में तापीय प्रतिलोमन के समय कारखानों की चिमनियों से निस्सृत धूम्र एवं सल्फर के स्थिर वायु के साथ मिश्रण के कारण जानलेवा नगरीय धूम्र कोहरे की उत्पत्ति होती है

वाहनों से निकलने वाले धूम्र के साथ सीसा नामक तत्व भी निकलता है जिसका बुरा प्रभाव हमारे श्वसन-तंत्र पर पड़ता है। सल्फर डाईऑक्साइड गैस वर्षा के जल के साथ संयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल में परिणत हो जाती है। यह अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुँचता है जिसके फलस्वरूप त्वचा कर्कटाबुर्द (कैंसर) की आवृत्ति में वृद्धि होती है।[20,21,22]

2. आवास की समस्या

यह समस्या (problems of urbanization in india) आवास की गुणवत्ता एंव मात्रा दोनों में देखने को मिलती है। वर्तमान समय में भारत में 3 करोड़ 10 लाख आवासीय इकाइयों की कमी है जिसमें 206 लाख आवास की कमी ग्रामीण क्षेत्र में तथा 104 लाख शहरी क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण सुविधायुक्त मकानों की मात्रा भी काफी कम है तथा सन 2000 तक लगभग 7 मिलियन आवासों की कमी की सम्भावना है।

नवीनतम अनुमानों के अनुसार कुल नगरीय आबादी का 14.68 प्रतिशत झुग्गी-झोपड़ियों (negative effects of urbanization) में निवास करता है। भारत के विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा भाग झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करता है।

3. रोजगार की समस्या :

जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है। गाँवों से शहरों में आने वाले लोगों की अधिक संख्या के कारण उन्हें शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती चली जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण-शहरी स्थानांतरण में कमी आई है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों (urbanization problems and solutions) की सफलता मानी जाती है।

निष्कर्ष

भारत के नगरों के विकास के मुख्यतः अग्रलिखित कारण रहे हैं – • रेलों के विकास के कारण व्यापार महत्त्वपूर्ण स्टेशनों के मार्गों द्वारा होने लगा। • भयानक दुर्भिक्षों के कारण बड़े पैमाने पर किसान बेरोजगार हो गये। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार न मिल सकने के कारण जनसंख्या का रोजगार की तलाश में नगरों की ओर प्रवास होने लगा। • भूमिहीन श्रम वर्ग के विकास के कारण ही

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

नगरीकरण प्रोत्साहित हुआ। इस वर्ग के जिन लोगों को नगर क्षेत्रों में स्थायी रोजगार अथवा अपेक्षाकृत ऊँची मजदूरी मिल गयी, वे वहीं बस गये। • नगरों के आकर्षण के कारण धनी जमींदारों के नगरों में बसने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। नगरों में । कुछ ऐसे आकर्षण थे, जिनका गाँवों में अभाव था। • नये उद्योगों की स्थापना अथवा पुराने उद्योगों के विस्तार के कारण श्रम-शक्ति नगरों में खपने लगी। उपर्युक्त कारणों के विश्लेषण के पश्चात् प्रो० डी० आर० गाडगिल इस निष्कर्ष पर पहुँचे, ''इने सब कारणों में उद्योगों का विकास अन्य सभी देशों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण रहा है, किन्तु भारत में इसका प्रभाव निश्चय ही इतना सशक्त नहीं रहा। सच तो यह है कि भारत में बहुत कम ऐसे नगर हैं। जिनका उद्भव नये उद्योगों के कारण हुआ है। भारत में औद्योगीकरण का निश्चित प्रभाव जनसंख्या को ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानान्तरित करने की दृष्टि से प्रबल रूप से व्यक्त नहीं हुआ।[23,22,25] इसका प्रमाण यह है कि भारत में कुल श्रमिकों की सामान्य वृद्धि के साथ कृषि और गैर-कृषि श्रमिकों दोनों की संख्या में एक साथ वृद्धि हुई है। औद्योगीकरण के प्रबल प्रभाव के फलस्वरूप कृषि-श्रमिकों का अनुपात गैर कृषि-श्रमिकों के अनुपात की तुलना में काफी कम हो जाना चाहिए था। नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएँ या प्रभाव या परिणाम Problems or Effects or Results Produced by Urbanization भारत में तेजी से बढ़ते हुए नगरीकरण से निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं – (1) अपर्याप्त आधारभूत ढाँचा और सेवाएँ – यद्यपि नगरीकरण की तीव्रता से विकास प्रकट होता है, परन्तु अति तीव्र नगरीकरण से नगरों में नगरीय सेवाओं और सुविधाओं की कमी हो जाती है। यह सर्वविदित तथ्य है कि मैट्रोपोलिटन नगरों की 30% से 40% तक जनसंख्या गन्दी बस्तियों में रहती है। ऐसी आवास-विहीन जनसंख्या भी बहुत अधिक है जिसका जीवन-स्तर बहुत निम्न होता है। (2) परिवहन की असुविधा – नगरों में भीड़ बढ़ने से परिवहन की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। (3) अपराध बढ़ जाते हैं – आज नगरों में अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जो तेजी से बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या का परिणाम है। (4) आवास की कमी – जितनी तेजी से नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेजी से आवासों का निर्माण नहीं हो पाता; अत: आवासों की भारी कमी चल रही है। (5) औद्योगीकरण – नगरों का विकास हो जाने के कारण औद्योगीकरण की प्रक्रिया बढ़ गयी है। प्राचीन युग के उद्योग-धन्धे समाप्त हो गये हैं। इन उद्योग-धन्धों के विकास के कारण भारत में सामाजिक संगठन में परिवर्तन हुए हैं। पूँजीपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष बढ़ गये हैं। स्त्रियों में आत्मनिर्भरता बढ़ गयी है। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे हैं। कारखानों की स्थापना, गन्दी बस्तियों की समस्याओं व हड़तालों आदि के कारण जीवन में अनिश्चितता आ गयी है। (6) द्वितीयक समूहों की प्रधानता – नगरीकरण के कारण भारत में परिवार, पड़ोस आदि जैसे प्राथमिक समूह प्रभावहीन होते जा रहे हैं। वहाँ पर समितियों, संस्थाओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा ही सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना होती है। इस प्रकार के सम्बन्धों में अवैयक्तिकता पायी जाती है। (7) अवैयक्तिक सम्बन्धों की अधिकता – नगरीकरण के कारण नगरों में जनसंख्या में वृद्धि हो गयी है। जनसंख्या की इस वृद्धि के कारण लोगों में व्यक्तिगत सम्बन्धों की सम्भावना कम हो गयी,है। इसी आधार पर आर० एन० मोरिस ने लिखा है कि जैसे-जैसे नगर विस्तृत हो जाते हैं वैसे-वैसे इस बात की सम्भावना भी कम हो जाती है कि दो व्यक्ति एक-दूसरे को जानेंगे। नगरों में सामाजिक सम्पर्क अवैयक्तिक, क्षणिक, अनावश्यक तथा खण्डात्मक होता है। (8) पारम्परिक सामाजिक मूल्यों की प्रभावहीनता – नगरीकरण के कारण व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ है। इस विचारधारा के कारण प्राचीन सामाजिक मूल्यों का प्रभाव कम हो गया है। प्राचीन समय में बड़ों का आदर, तीर्थ स्थानों की पवित्रता, ब्राह्मण, गाय तथा गंगा के प्रति श्रद्धा और धार्मिक संस्थानों की मान्यता थी, परिवार की सामाजिक स्थिति का ध्यान रखा जाता था, किन्तु आज नगरों का विकास हो जाने से प्राचीन सामाजिक मूल्य प्रभावहीन हो गये हैं। उनका स्थान भौतिकवाद तथा व्यक्तिवाद ने ले लिया है। (9) श्रम-विभाजन और विशेषीकरण – नगरीकरण एवं औद्योगीकरण के विकास के कारण आज विभिन्न देशों में कुशल कारीगरों का महत्त्व बढ़ गया है।[27,28,29] कोई डॉक्टर है, कोई वकील है और कोई इन्जीनियर। डॉक्टरों, वकीलों तथा इन्जीनियरों के भी अपने विशिष्ट क्षेत्र हो गये हैं। (10) अन्धविश्वासों की समाप्ति – अभी तक भारत में धार्मिक विश्वासों पर आँख मींचकर चलने की प्रथा थी, किन्तु आज विज्ञान ने दृष्टिकोण की संकीर्णता को व्यापक बना दिया है। अनेक आविष्कारों के कारण व्यक्ति को दृष्टिकोण तार्किक हो गया है। (11) जातीय नियन्त्रण का अभाव – अभी तक भारतीय समाज में जाति-प्रथा के कारण बाल-विवाह, विधवा-विवाह निषेध, पर्दा-प्रथा, विवाह-संस्कार व स्त्रियों की निम्न दशा का प्रचलन था, किन्तु आज नगरीकरण के कारण शिक्षा का प्रसार हुआ है और भारत में विवाह सम्बन्धी अधिनियम को पारित करके विवाह सम्बन्धी मान्यता को बदल दिया गया है। आज विवाह की आयु निर्धारित कर दी गयी है, बाल-विवाह समाप्त हुए हैं, अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिला है, विधवा पुनर्विवाह आरम्भ हो गया है। जाति के सभी प्रतिमान बदल गये हैं, यातायात के साधनों का विकास हो जाने से जाति-पाँति के बन्धन टूट गये हैं। नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान Solution of the Problems Produced by Urbanization • आवासीय भूमि का विकास – नगरीकरण से जनसंख्या की वृद्धि होने से आवासीय भवनों की कमी हो जाती है। इसलिए नये आवासीय क्षेत्रों को विकसित करना चाहिए जिससे नगर के केन्द्रीय भाग में आवासों (मकानों) का जमघट न बढ़े। नयी आवासीय बस्तियों के विकास से नगर केन्द्रों पर जनसंख्या का भार घटता है। निवासियों को नियमित आवास भी प्राप्त होते हैं। • सड़क परिवहन व्यवस्था में सुधार – नगरों की एक बड़ी समस्या सड़कों पर अतिक्रमण है।[30,31,32] गैर-आवासीय या बाजार क्षेत्रों में यह समस्या विकट परिस्थितियाँ पैदा करती है। सड़कों पर चलती-फिरती दुकानों, ठेलों, वाहनों आदि का जमघट सड़कों को तंग बना देता है। इस समस्या के निवारण के लिए उपयुक्त उपाय अपनाने चाहिए। पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए • पेयजल, जल-मल निकास-सफाई आदि की व्यवस्था – नगरों में पेयजल, बिजली, जल-मल निकास आदि की भारी समस्याएँ रहती हैं। इनके लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। नाली-नालों की सफाई, कूड़ा-करकट तथा मल निकास की उपयुक्त व्यवस्था आवश्यक है। • मलिन बस्तियों की उचित व्यवस्था – निर्धन मजदूर, बेरोजगार, गाँवों से पलायन करने वाले लोग शहरों के महँगे मकान खरीदने या किराये पर लेने में असमर्थ होते

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

हैं;[33,35,37] अतः वे नगर के बाहर या सड़कों के किनारे झुग्गी-झोंपड़ी डालकर रहते हैं। ऐसी मलिन बस्तियों में बिजली, पानी, सड़कों, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं होती। प्रायः यहाँ सामाजिक अपराध पनपते हैं। अत: इनका सुधार करना। आवश्यक है। • आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई – नगरों में जनसंख्या बढ़ने पर दैनिक उपभोग की वस्तुओं; जैसे—दूध, अण्डे, सब्जी, फल आदि की कमी हो जाती है। अतः इनकी पर्याप्त उपलब्धता की व्यवस्था होनी चाहिए। • प्रदूषण पर नियन्त्रण – नगरों में छोटे-बड़े अनेक उद्योग स्थापित हो जाते हैं जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। अत: उद्योगों को नगर के बाहर विशिष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना चाहिए तथा कारखानों से होने वाले प्रदूषण पर भी नियन्त्रण करना चाहिए।[38,39,40, 41]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "शहरी नियोजन क्या है"। स्कूल ऑफ अर्बन प्लानिंग,मैकगिल यूनिवर्सिटी। 8 जनवरी 2008 को मूल सेसंग्रहीत
2. ^:[ए बी] केव्स, आरडब्ल्यू (2004)। शहर का विश्वकोश। रूटलेज। पी। 728.आईएसबीएन 978-0415862875.
3. ^:[ए बी] डेबोरा मैककॉय; जेसी स्टीवर्ट; शर्ल बस (2015)। "Y-PLAN के माध्यम से अपने निर्मित वातावरण को बदलने में छात्रों को शामिल करना: रिचमंड, कैलिफ़ोर्निया से सबक"। बच्चे, युवा और पर्यावरण। 25(2): 229.doi:10.7721/chilyoutenvi.25.2.0229। आईएसएसएन1546-2250.
4. ^:[ए बी] फ्लोरा, कॉर्नेलिया बटलर; फ्लोरा, जान एल.; गैस्टेयर, स्टीफ़न पी. (4 अगस्त 2015)। ग्रामीण समुदाय: विरासत + परिवर्तन(5 संस्करण)। वेस्टव्यू प्रेस। आईएसबीएन 9780813349718.
5. ^:[ए बी सी] "इन दिनों "शहरी नीति" के रूप में क्या योग्य है?" . शहरी संस्थान. 13 जून 2011। 22 जून 2022को लिया गया।
6. ^:[ए बी सी] समर्थ, आयुषी (3 दिसंबर 2022)। "शहरी नियोजन और सार्वजनिक नीति"। आरटीएफ |भविष्य पर पुनर्विचार। 22 जून 2022को लिया गया।
7. ^:[ए बी सी] टेलर, निगेल (1998)। 1945 से शहरी नियोजन सिद्धांत। लॉस एंजिल्स:ऋषि। पृ. 3-4. आईएसबीएन 978-0-7619-6093-5.
8. ^:[ए बी] मिडगली, जेम्स (1999)। सामाजिक विकास: समाज कल्याण में विकासात्मक परिप्रेक्ष्य । ऋषि. पी। 50.आईएसबीएन 978-0-8039-7773-0.
9. ^ गुफाएँ, आरडब्ल्यू (2004)। शहर का विश्वकोश । रूटलेज। पी। 704. आईएसबीएन 978-0415862875.
10. ^ पोबिनेर, जो (18 फरवरी 2020)। "3 शहरी नियोजन रुझान जो बदल रहे हैं कि भविष्य में हमारे शहर कैसे दिखेंगे" । भवन डिजाइन + निर्माण । 25 सितंबर 2020 को लिया गया ।
11. ^:[ए बी] लेवी, जॉन एम. (2017)। समसामयिक शहरी नियोजन . आईएसबीएन 978-1-138-66638-2. ओसीएलसी 992793499 ।
12. ^ वैन एश, के.; ब्यूनेन, आर.; डुइनवेल्ड, एम.; और डी जोंग, एच. (2013)। "योजना और डिज़ाइन का सह-विकास: नियोजन प्रणालियों में डिज़ाइन परिप्रेक्ष्य के जोखिम और लाभ"। योजना सिद्धांत , 12(2), 177-198।
13. ^ "योजना क्या है?" . अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन। 10 मार्च 2015 को मूल से संग्रहीत ।
14. ^ प्लैनेटिज़न पाठ्यक्रम (8 नवंबर 2019)। "शहरी नियोजन क्या है?" . यूट्यूब । 30 अक्टूबर 2021 को मूल से संग्रहीत ।
15. ^ हस-क्लाउ, कारमेन (2014)। "तीसरे रैह के दौरान मोटरीकरण और फुटपाथ योजना।" पैदल यात्री और शहर । रूटलेज।
16. ^ डावरेउ, रॉबर्ट (1978)। "रहस्य के शहर: सिंधु घाटी का खोया साम्राज्य"। दुनिया के आखिरी रहस्य . (दूसरा संस्करण)। सिडनी: रीडर्स डाइजेस्ट। पृ. 121-129. आईएसबीएन 0-909486-61-1 .
17. ^ कोल्ब, फ्रैंक (1984)। डाई स्टैडट इम अल्टरटम । मुन्चेन: वेरलाग सीएच बेक, पीपी. 51-141: मॉरिस, एईजे (1972)। शहरी स्वरूप का इतिहास. पुनर्जागरण का प्रागितिहास । लंदन, पीपी. 22-23.
18. ^ ग्लेसर, एडवर्ड (2011)। शहर की विजय: कैसे हमारा सर्वश्रेष्ठ आविष्कार हमें अमीर, होशियार, हरा-भरा, स्वस्थ और खुशहाल बनाता है । न्यूयॉर्क: पेंगुइन प्रेस, पी. 19, आईएसबीएन 978-1-59420-277-3।
19. ^ बोएरेफिजन, विम (2010)। यूरोप में 13वीं और 14वीं शताब्दी में नए शहरों की नींव, योजना और निर्माण। शहरी स्वरूप और उसके निर्माण पर एक वास्तुशिल्प-ऐतिहासिक शोध । पीएच.डी. थीसिस यूनिवर्सिटिट वैन एम्स्टर्डम। आईएसबीएन 978-90-9025157-8.
20. ^ जॉर्डन, डेविड (1992)। "बैरन हौसमैन और आधुनिक पेरिस"। अमेरिकी विद्वान . 61 (1):99.
21. ^ फेनस्टीन, सुसान एस. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में शहरी नियोजन
22. ^ मॉरिस, एलेनोर स्मिथ; और अन्य। (1997)। ब्रिटिश टाउन प्लानिंग और शहरी डिज़ाइन: सिद्धांत और नीतियां । हार्लो , एसेक्स, इंग्लैंड: लॉन्गमैन । पृ. 147-149. आईएसबीएन 978-0-582-23496-3.
23. ^ राउटली, निक (20 जनवरी 2018)। "शहरी नियोजन का विकास" । दृश्य पूंजीवादी . 25 सितंबर 2020 को लिया गया ।
24. ^ "भीड़ शुल्क (आधिकारिक)" । लंदन के लिए परिवहन . 25 सितंबर 2020 को लिया गया ।
25. ^ व्हिटमोर, एंड्रयू (2 फरवरी 2015)। "योजनाकार योजना सिद्धांत का उपयोग कैसे करते हैं" । ग्रहीकरण । 24 अप्रैल 2015 को लिया गया . व्हिटेमोर, एंड्रयू एच. (2014) का हवाला देते हुए । "प्रैक्टिशनर्स सिद्धांत बनाते हैं, प्रैक्टिशनर्स के सिद्धांतों के सर्वेक्षण में योजना सिद्धांत की बहुत अधिक पुष्टि करते हैं"। योजना शिक्षा और अनुसंधान जर्नल । 35 (1): 76-85. डीओआई : 10.1177/0739456X14563144 । एस2सीआईडी 144888493 ।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

26. ^ मोहम्मद नाज़िम सैफी (4 मार्च 2017)। "नगर नियोजन सिद्धांत अवधारणा और मॉडल" ।
27. ^ लैंडिस, जॉन डी. (2012)। "मॉडलिंग शहरी सिस्टम"। वेबर में, राचेल; क्रेन, रान्डेल (सं.). शहरी नियोजन की ऑक्सफोर्ड हैंडबुक । ऑक्सफ़ोर्ड, इंग्लैंड: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पीपी. 323-350. आईएसबीएन 978-0-19-537499-5.
28. ^ कोड, नियम और मानक संबंधों के एक मैट्रिक्स का हिस्सा हैं जो शहरी नियोजन और डिजाइन के अभ्यास को प्रभावित करते हैं। विनियमन के ये रूप विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें उपविभाजनों की स्थापना से लेकर तूफानी जल अपवाह के नियंत्रण तक शामिल है। विनियमों का विषय इस स्रोत की ओर ले जाता है कि समुदायों को कैसे डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है - यह परिभाषित करना कि वे कैसे बनाए जा सकते हैं और कैसे नहीं बनाए जा सकते हैं - और कैसे कोड, नियम और मानक उस भौतिक स्थान को आकार देते रहते हैं जहां हम रहते हैं और काम करते हैं। बेन-जोसेफ, एरान (2012)। "शहरी नियोजन और डिजाइन में कोड और मानक"। वेबर में, राचेल; क्रेन, रान्डेल (सं.). शहरी नियोजन की ऑक्सफोर्ड हैंडबुक । ऑक्सफ़ोर्ड, इंग्लैंड: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पृ. 352-370. आईएसबीएन 978-0-19-537499-5.
29. ^ स्मिट, एनेके; वैलियंटे, मार्सिया (2015)। "परिचय"। स्मिट में, एनेके; वैलिएंटे, मार्सिया (संस्करण)। सार्वजनिक हित, निजी संपत्ति: कनाडा में कानून और योजना नीति । वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया: ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रेस । पृ. 1-36, पृष्ठ 10. आईएसबीएन 978-0-7748-2931-1.
30. ^ हेइदरी, हादी; अरबी, मज़्दाक; वारज़िनियाक, ट्रैविस; शारवेल, सिबिल (2021)। "नगरपालिका जल की कमी पर शहरी विकास पैटर्न का प्रभाव" । जल में सीमाएँ । 3 : 694817. बिबकोड : 2021FrW....394817H . डीओआई : 10.3389/frwa.2021.694817 । आईएसएसएन 2624-9375 .
31. ^ हेइदरी, हादी; अरबी, मज़्दाक; वारज़िनियाक, ट्रैविस; काओ, शिह-चीह (जून 2021)। "जलवायु परिवर्तन के जवाब में अमेरिकी मेगारेगियन के जलजलवायु विज्ञान में बदलाव" । पर्यावरण अनुसंधान संचार । 3 (6): 065002. बिबकोड : 2021ERCom...3f5002H । डीओआई : 10.1088/2515-7620/एसी0617 । आईएसएसएन 2515-7620 .
32. ^ कामेनेत्ज़, आन्या (14 जनवरी 2009)। "अगले दशक के लिए दस सर्वश्रेष्ठ हरित नौकरियाँ" । फास्ट कंपनी । 26 अगस्त 2012 को मूल से संग्रहीत । 14 जनवरी 2009 को पुनःप्राप्त .
33. ^ फ्रीडमैन, जॉन (2012)। "विभिन्न प्रकार के योजना अनुभव: एक वैश्विक योजना संस्कृति की ओर?" वेबर में, राचेल; क्रेन, रान्डेल (सं.). शहरी नियोजन की ऑक्सफोर्ड हैंडबुक । ऑक्सफ़ोर्ड, इंग्लैंड: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पीपी. 87-98. आईएसबीएन 978-0-19-537499-5.
34. ^ "अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड प्लानर्स सर्टिफिकेशन" । अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन । अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन । 20 जुलाई 2017 को लिया गया .
35. ^ "पेशेवर मानक" । रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स । रॉयल टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट । 20 जुलाई 2017 को लिया गया .
36. ^ "आईएसओसीएआरपी के बारे में" । शहर और क्षेत्रीय योजनाकारों की अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी । 20 जुलाई 2017 को लिया गया .
37. ^ लेन, मार्कस बी. (नवंबर 2005)। "योजना में सार्वजनिक भागीदारी: एक बौद्धिक इतिहास" । ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता . 36 (3): 283-299. डीओआई : 10.1080/00049180500325694 । आईएसएसएन 0004-9182 . एस2सीआईडी 18008094 ।
38. ^ पैरी, जो-एलेन; दुरईअप्पा, अनंत के.; रॉडी, पुमुलो वी. (2005). क्या सहभागी दृष्टिकोण से क्षमताओं में वृद्धि हुई है? . सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान = टिकाऊ विकास संस्थान। ओसीएलसी 64077133 ।
39. ^:[ए बी सी] क्लोस्टरमैन, रिचर्ड ई. (1985)। "योजना के पक्ष और विपक्ष में तर्क"। टाउन प्लानिंग समीक्षा। 56(1): 5-20. doi:10.3828/tpr.56.1.e8286q3082111km4। आईएसएसएन0041-0020. जेएसटीओआर40112168।
40. ^:[ए बी] मैकऑलिफ़, कैमरून; रोजर्स, डलास (मार्च 2019)। "शहरी विकास में मूल्य की राजनीति: एगोनिस्टिक बहुलवाद में संघर्ष को महत्व देना"। योजना सिद्धांत. 18(3): 300-318. डीओआई:10.1177/1473095219831381। आईएसएसएन1473-0952. एस2सीआईडी150714892।
41. ^ अर्नस्टीन, शेरी (14 मई 2020), ""नागरिक भागीदारी की एक सीढ़ी"" , द सिटी रीडर , एबिंगडन, ऑक्सन: रूटलेज, पीपी. 290-302, डीओआई : 10.4324/9780429261732-36 , आईएसबीएन 978-0-429-26173-2, S2CID

Impact Factor: 7.580

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com